160

परिशिष्ट 12

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन– 0755–2555016, 2555018

क्र./रा.शि.के./आई.ई.डी./2005/1981 भोपाल, दिनांक 11-7-2005

प्रति,

समस्त कलेक्टर
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आई.ई.डी. के मोबाइल स्रोत सलाहकारों की नियुक्ति करने हेतु।

संदर्भ– मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के संचालक श्री अमित कौशिक का अर्ध शा.पत्र क्र.14–5/2005, ईई–12, दिनांक 10 फरवरी 2005.

विषयान्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों को शाला में दर्ज किये जाने के उददेश्य की पूर्ति करने हेतु प्रदेश के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाना आवश्यक है। सभी शाला जाने योग्य विशेष आवश्यकता वाला ऐसा एक भी बच्चा शाला प्रवेश से छूटने न पाए। इन बच्चों को शाला में प्रवेश के बाद शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इसी उददेश्य को ध्यान में रखकर संदर्भित पत्र द्वारा यह सुझाया गया है कि विकासखण्ड स्तर पर कम से कम एक मोबाइल स्रोत सलाहकार की नियुक्ति की जावे। वर्तमान में प्रत्येक जिले की वार्षिक कार्य योजना में इन मोबाइल स्रोत सलाहकारों पर होने वाला व्यय शामिल किया गया है।

कृपया नीचे दी जा रही नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जाए–

(1) समिति का निर्धारण –

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति बना ली जाए। इस समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा–

क्र.	नामित अधिकारी एवं संस्था	पद नाम
1	जिले के कलेक्टर	अध्यक्ष
2	जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र	सदस्य सचिव
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
4	उपसंचालक, पंचायत	सदस्य
5	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6	प्राचार्य, डाइट	सदस्य
7	विकलांगता क्षेत्र में कार्यरत कोई एक एन.जी.ओ. /डीडीआरसी	विशेष आमंत्रित

उक्त जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर विज्ञापन के माध्यम से संबंधितों से आवेदन प्राप्त कर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाए।

20 विकलांग बच्चों अर्थात दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता या मानसिक विकलांगता (अस्थिबाधित छोड़कर) बच्चों पर एक मोबाइल स्रोत सलाहकार के हिसाब से विकासखण्डवार मोबाइल स्रोत सलाहकारो की नियुक्ति हेतु आकलन जिला स्तर पर किया जाना है। म.प्र. के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।

(2) मोबाइल स्रोत सलाहकारों की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता –

- **किसी भी विषय की स्नातक डिग्री**

- दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक विकलांगता की शिक्षा या अन्य कोई विकलांगता में डिप्लोमा/डिग्री। अस्थिबाधित बच्चों हेतु अलग से कोई मोबाइल स्रोत सलाहकार नियुक्त नहीं होगा।
- भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत।

अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव–

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अथवा समावेशित/समेकित शिक्षा व्यवस्था के अध्यापन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

(3) वेतनमान–

प्रत्येक मोबाइल स्रोत सलाहकार को प्रतिमाह राशि रु. 5000/– प्रोफेशनल फीस तथा रु.1,000/– मोबिलिटी सपोर्ट दिया जाए, इस प्रकार कुल राशि रु. 6000/– प्रतिमाह एकजाई राशि का भुगतान होगा। इन मोबाइल स्रोत सलाहकारों को प्रतिमाह कम से कम 15 दिन यात्रा करना आवश्यक होगा।

(4) मोबाइल स्रोत सलाहकारों की संख्या–

20 विकलांग बच्चों पर एक मोबाइल स्रोत सलाहकार होगा। 30 से अधिक बच्चे होने पर एक और मोबाईल स्रोत सलाहकार नियुक्त करें। प्रति विकासखण्ड में कम से कम एक मोबाइल स्रोत सलाहकार अवश्य हो। जहाँ पर विशेष प्रकार की विकलांगता के बच्चे अधिक है, उस प्रकार के एक से अधिक मोबाइल स्रोत सलाहकार रखे जाएंगे। लेकिन प्रत्येक जिले में कम से कम तीनों प्रकार की विकलांगता के एक–एक मोबाइल स्रोत सलाहकार होना अनिवार्य है अर्थात एक मोबाइल स्रोत सलाहकार दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित या मानसिक विकलांगता डिप्लोमा/डिग्री वाले अवश्य ही हों। मोबाइल स्रोत सलाहकारों की नियुक्ति विकासखण्डवार होगी तथा उनका मुख्यालय विकासखण्ड स्रोत केन्द्र होगा। यह संख्या अस्थिबाधित बालको से अलग होगी।

(5) मोबाइल स्रोत सलाहकारों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व–

- अपने विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विकलांगतावार डाटा रखना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना। यदि ऐसा बच्चा ड्राप आऊट होता है तो कारण का पता लगाकर समाधान खोजना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के औपचारिक व कार्यसाधक मूल्यांकन कराना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तथा उनके पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं शिक्षकों को विशेष कौशल जैसे – ब्रेल, गणित के उपकरणों का उपयोग, समूह या व्यक्तिगत श्रवण यंत्र का उपयोग सम्पूर्ण संचार आदि अन्य तकनीक को दिखाना।
- नियमित कक्षा शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की समस्या एवं समाधान के बारे में सलाह देना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व अनुकूलन करने हेतु सुझाव देना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर उन क्षेत्रों में विशेष समझ देना जो नियमित कक्षा में नहीं समझ पाए हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की ओर से उनके पालकों तथा समाज को प्रेरित करना तथा सलाह देना।
- नियमित शिक्षक, ब्लाक स्रोत समन्वयक, जन शिक्षक आदि का प्रशिक्षण व बच्चों की शाला में पहुंच, ठहराव तथा प्रशिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में समन्वय करना। जन शिक्षा केन्द्र या विकासखण्ड स्रोत केन्द्र के उपकरण व स्रोत कक्ष के प्रभारी के रूप में कार्य करना।
- शिशु शिक्षा केन्द्र व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष आवश्यकता वाल बच्चों के प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण देना। उनकी शीघ्र पहचान में सहायता करना।
- PTA – विकलांग बच्चों के पालकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

- जिला मुख्यालय के विकासखण्ड पर नियुक्त स्रोत शिक्षक अपने विकासखण्ड के साथ–साथ जिले की आईईडी गतिविधियों का समन्वय भी कर सके। सभी विभागों जैसे–डीडीआरसी, सीआरसी, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य आदि से समन्वय करना।
- वार्षिक कार्य योजना को क्रियान्वित करना।

(ग) **मोबाइल स्रोत सलाहकारों के कार्यकाल की अवधि–**
मोबाइल स्रोत सलाहकार की नियुक्ति कार्य की संतुष्टता पर वर्ष 2007 तक होगी।

कृपया उक्त नियुक्तियाँ कर राज्य शिक्षा केन्द्र को अवगत कराए ताकि चयनितों के इंडक्शन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके।

(नीलम राव)
संचालक

पृ.क्र./आईईडी/रा.शि.के./2005/1982 भोपाल, दिनांक 11-7-2005

प्रतिलिपि –

1. संचालक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
7. जिला परियोजना समन्वयक की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु।
8. प्राचार्य, डाइट समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त ए.पी.सी. रा.शि.के. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(नीलम राव)
संचालक